बिहार सरकार

जीविका

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

मार्गदर्शिका

कस्टम हायरिंग सेन्टर

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति

विषयसूची

	पृष्ठ संख्या
कस्टम हायरिंग सेंटर का परिचय	01
कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य	02
कस्टम हायरिंग सेंटर के उपभोक्ता	02
कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु योजना निर्माण	02
अनुलग्नक 1 – आजीविका उपसमिति के कार्य	10
अनुलग्नक 2 – कैडर के कार्य	10
अनुलग्नक 3 – कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु राशि मांगपत्र	11
अनुलग्नक 4 – कस्टम हायरिंग केन्द्र की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र	12
अनुलग्नक 5 – कस्टम हायरिंग केन्द्र के प्रदर्शन का मासिक रिपोर्ट	13
अनुलग्नक 6 – परिसंपत्ति पंजी	14
अनुलग्नक 7 – कस्टम हायरिंग बुकिंग पंजी	14
अनुलग्नक 8 – यंत्र मरम्मती पंजी	14
अनुलग्नक 9 – स्टॉक पंजी	14
अनुलग्नक 10 – रोकड़ बही	15
अनुलग्नक 11 – सामान्य खाताबही	15
अनुलग्नक 12 – प्राप्ति विपत्र	16
अनुलग्नक 13 – यंत्र हेतु मांग पत्र	16
अनुलग्नक 14 – यंत्र दैनिक उपयोग पंजी	17
अनुलग्नक 15 – कस्टम हायरिंग केन्द्र पर लगाये जाने वाले विवरण	17

कार्यालय आदेश
कस्टम हायरिंग सेन्टर (सी.एच.सी.)

परिचय

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति वर्तमान में बिहार के सभी 38 जिलों, सभी प्रखंडों और सभी पंचायतों में कार्य कर रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीब परिवारों – विशेषकर महिलाओं को सामुदायिक संगठनों से जोड़कर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में आजीविका गतिविधियों के माध्यम से विकास करना है। परियोजना अंतर्गत ग्रामीण गरीब परिवारों की महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिनमें उन्हें विभिन्न स्तर पर समूहों के माध्यम से संगठित करना, इन संगठनों को मजबूत बनाना, इनमें आर्थिक स्तर पर स्वाबलंबन हेतु वित्तीय समावेशन, विभिन्न आजीविका गतिविधियों को अपनाने एवं उत्पादों का समुचित मूल्य पाने हेतु बाजार से जुड़ाव जैसे कार्य मुख्य हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का प्रमुख साधन है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा परिवार प्रत्यक्ष एवं कुल 80 प्रतिशत से ज्यादा परिवार परोक्ष रूप से जुड़े हैं । विगत वर्षों में कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु परियोजना के माध्यम से अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें कृषि की उन्नत तकनीक अपनाने हेतु आर्थिक सहयोग, कम खर्च वाले तकनीकों यथा श्री विधि से फसलों का उत्पादन, जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक के प्रयोग, उन्नत कृषि उत्पादन तकनीक की जानकारी प्रदान करना आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

कृषि कार्य में गरीब परिवारों से महिलाओं की भागीदारी मजदूर के रूप में है और इन्हें कृषि से संबंधित ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं जिनमें कठिन परिश्रम की जरुरत होती है यथा – बिचड़ा निकालना, रोपाई, निराई, गुड़ाई, फसलों की कटाई, झराई एवं अनाज की साफ-सफाई इत्यादि। महिलाओं की भागीदारी के दौरान उन्हें विकट परिस्थितियों जैसे धूप, वर्षा एवं जाड़े के समय भी काम करना पड़ता है, साथ ही उन्हें शारीरिक श्रम भी लगता है। महिलाओं की इस भागीदारी से उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। महिलाओं में कुपोषण की समस्या सर्वविदित है। कृषि कार्यों में मशीनों/उपकरणों के उपयोग से महिलाओं को होनेवाली इन समस्याओं से निजात दिलाई जा सकती है जिससे महिलाओं को कठिन श्रम से बचाया जा सकता है यानी Drudgery Reduction हो सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन कम होने के अनेंक कारण हैं परन्तु समुचित कृषि यंत्रों का स्थानीय स्तर पर उपलब्ध न होना एवं किसानों की जरुरत के समय उपकरणों तक उनकी पहुँच न होना प्रमुख कारण है । सामान्यतया छोटे किसानों के पास अपने कृषि उपकरण नहीं होते और इसके लिए उन्हें इसे संपन्न किसानों से मांगना/किराये पर लेना होता है जो उन्हें तभी उपलब्ध होते हैं जब संपन्न किसानों के अपने खेत में इसकी आवश्यकता ना रहे। इस तरह की निर्भरता के कारण कृषि कार्यों में बिलंब होता है एवं फसलों के उत्पादन पर बुरा असर होता है। उपकरणों का मूल्य ज्यादा होने के कारण छोटे किसान इसे खरीद भी नहीं सकते है और न हीं उनके लिए इसका मूल्य उनकी आर्थिक क्षमता के अन्तर्गत होता है। इस कारण से संस्थागत स्तर पर मिलजुल कर उपकरणों के मूल्य का बंटवारा एवं इसका उपयोग एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

जीविका से जुड़े सामुदायिक संगठनों द्वारा पूर्व में सामूहिक कार्यों हेतु कुछ प्रयास किए जा चुके हैं जिनमें उत्पादक समूहों एवं उत्पादक कंपनी से जुड़कर कृषि उत्पादों का व्यवसाय, डेयरी, बकरीपालन, मुर्गीपालन आदि महत्वपूर्ण हैं। ग्रामीण कृषि यंत्र बैंक एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर (सी.एच.सी.) की सामुदायिक स्तर पर स्थापना भी इन्हीं प्रयासों में एक कड़ी के रूप में जुड़ सकती है जहाँ से छोटे किसानों को कृषि उपकरण समय पर एवं सस्ते दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे।

यह विचारणीय होगा कि यदि कस्टम हायरिंग सेन्टर का प्रबंधन सही तरीके से किया जाए तो यह एक स्वयं संपोषित व्यवसाय हो सकता है । उपकरणों के किराये से प्राप्त होने वाली राशि से यंत्रों / उपकरणों का रख – रखाव /मरम्मत /बदलाव एवं कस्टम हायरिंग सेन्टर के संचालन से जुड़े कर्मियों यथा वी.आर.पी. या कृषि सखी के मानदेय पर होने वाला खर्च भी आसानी से निकल सकता है। इस प्रयास से मशीनों /उपकरणों का समय पर पूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

परियोजना अंतर्गत कृषि संयंत्रों से संबंधित कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना किये जाने का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों तक कृषि यंत्रों की ससमय पहुँच सुनिश्चित करना है साथ ही इन यंत्रों के उपयोग से महिलाओं को कठिन श्रम से छुटकारा मिलेगा। इस केन्द्र में कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले सामान्य उपकरण रखे जाएंगे जिनका संचालन संकुल स्तरीय संघ /उत्पादक कंपनी द्वारा होगा। इससे संकुल स्तरीय संघ/उत्पादक कंपनी से जुड़े परिवार आवश्यकतानुसार इस केन्द्र की सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। इस केन्द्र में खेती – बाड़ी में जुताई से लेकर फसल की तैयारी एवं भंडारण में उपयोगी यंत्रों का प्रावधान किया जाएगा जिनका लाभ लेकर गरीब ग्रामीण परिवार समयानुसार उन्नत कृषि कर सकेंगे।

उद्देश्य

कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जीविका परियोजना अंतर्गत कृषि कार्यों से जुड़े परिवारों को अधिक से अधिक लाभ दिलवाते हुए उनकी आय में वृद्धि करवाना है । इस केन्द्र से अपेक्षित विशेष लक्ष्य निम्नलिखित हैं

- स्थानीय स्तर पर कृषि से संबंधित उपकरण की उपलब्धता।
- समयानुसार कृषि से संबंधित कार्यों का निष्पादन।
- व्यावसायिक रूप से यंत्र बैंक स्थापना से इसका स्वतः पोषण एवं सेवा की निरंतरता का संधारण।
- कृषि कार्यों में महिलाओं को कठिन श्रम से छुटकारा।

कस्टम हायरिंग सेन्टर के उपभोक्ता

कस्टम हायरिंग केन्द्र के मुख्य उपभोक्ता परियोजना द्वारा पोत्साहित किए जा रहे कृषि कार्यों में भाग ले रहे जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़े परिवार होंगे हालांकि सी.एच.सी. के उपकरणों का उपयोग क्षेत्र के अन्य किसान भी कर सकते हैं परन्तु जीविका स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सुविधा दी जाएगी ।

कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु योजना निर्माण

- वर्तमान स्थिति पर चर्चा एवं आवश्यकताएं

  कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु आवश्यक निम्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना आवश्यक है :–

  क) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना कहाँ की जाएगी?

  ख) कस्टम हायरिंग केन्द्र में कौन – कौन से यंत्र रखे जाएंगे ?

  ग) कस्टम हायरिंग केन्द्र के निरंतर चलने हेतु इसकी देखभाल कौन करेगा ?

  घ) स्थान मुफ्त/कम खर्च में उपलब्ध हो (जैसेः ग्राम संगठन का भवन, पंचायत भवन, बिना उपयोग/खाली स्थान)

  ड़) केन्द्र की देखभाल हेतु अच्छे कैडर उपलब्ध हों (वी.आर.पी./कृषि सखी)

  च) वहाँ पहले से उपकरणों के किराये की कोई व्यवस्था न हो।

- कस्टम हायरिंग केन्द्र की गतिविधि का क्षेत्र एवं संरचना

  कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना के लिए उन क्षेत्रों का चयन करना होगा जिसमें फार्म पावर की उपलब्धता कम हो एवं मध्यम एवं छोटे किसानों की संख्या एवं उनके जमीन की ज्यादा मात्रा हो । वैसे सभी पंचायत जिनमें कृषि संबंधित गतिविधि की शुरुआत हो गई हो में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना की जा सकती है। कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना से पहले इससे संबंधित व्यवसाय योजना (बिजनेश प्लान) तैयार कर लेनी चाहिए। व्यवसाय योजना बनाने हेतु निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जा सकता है :-

  क) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र द्वारा सेवा देने की क्षमता 2 हेक्टेयर (हे०) प्रति दिन एवं पूरे फसल अवधि के दौरान 150 हेक्टेयर (हे०) की होनी चाहिए। मशीन एवं उपकरण की सेवा जमीन की तैयारी से लेकर अवशेष प्रबंधन तक के लिए दी जानी चाहिए।

  ख) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना फसल आधारित, कीमत आधारित, कलस्टर आधारित होनी चाहिए।

  ग) प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र में मशीनों एवं उपकरणों के चुनाव में वैसी छोटे फसलों से संबंधित विशेष मशीनों का चुनाव किया जाना चाहिए जो छोट एवं मध्यम वर्ग के किसानों की जमीन में सेवा देने में सक्षम हों।

  घ) यदि संभव हो तो प्रत्येक कस्टम हायरिंग केन्द्र के आसपास नाडेप कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट एवं जैविक खाद या मिश्रण जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन किया जा सकता है।

- क्रियान्वयन एवं प्रबंधन

  क) कस्टम हायरिंग केन्द्रों का स्वामित्व संकुल स्तरीय संघ/उत्पादक कंपनी के पास होगा । यदि संकुल संघ का निर्माण नहीं हुआ हो तो केन्द्र की स्थापना पंचायत के किसी नोडल ग्राम संगठन के स्तर पर की जा सकती है एवं संकुल संघ के निर्माण के पश्चात इसका अधिकार संकुल संघ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

  ख) संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी / नोडल ग्राम संगठन की आजीविका उप समिति कस्टम हायरिंग केन्द्रों के प्रशासन एवं संबंधित नियम, कानून बनाने का कार्य करेगी एवं केन्द्र की पहचान हेतु इसका नामाकरण भी किया जाएगा (नाम ..... जीविका महिला कस्टम हायरिंग केन्द्र होगा)।

  ग) कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालन हेतु कैडर का चयन - कस्टम हायरिंग केन्द्रों के दैनिक क्रिया कलापों हेतु एक कैडर का चयन किया जाएगा जिस पर केन्द्र के लेखा जोखा संधारण करने की जिम्मेवारी होगी अतः इसके लिए अच्छे कैडर का चयन एवं कस्टम हायरिंग केन्द्र के संचालन, रेवेन्यू मॉडल, यंत्रों के रखरखाव एवं लेखा संधारण आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य होगा। कस्टम हायरिंग केन्द्र में यंत्रों की खरीद के 01 माह के अंदर इसके संचालन हेतु कैडर का चयन कर लिया जाना चाहिए । कैडर हेतु शैक्षणिक योग्यता 10वीं होनी चाहिए तथा उसे कृषि कार्य का पूर्व अनुभव होना चाहिए (पूर्व से कार्यरत वी.आर.पी., एस.ई.डब्ल्यू या कृषि उद्यमी को प्राथमिकता दी जाएगी) या वह स्वयं सहायता समूह से जुड़ा हो या जुड़े किसी सदस्य के परिवार की महिला या कोई पुरुष सदस्य हो सकता है । कैडर का चयन संकुल स्तरीय संघ/उत्पादक कंपनी के पदाधिकारियों एवं आजीविका उपसमिति द्वारा सम्मिलित रूप से किया जाएगा। अच्छे कैडर के चुनाव की जिम्मेवारी प्रखंड परियोजना प्रबंधक की होगी। कैडर को प्रथम 06 माह हेतु 2500 रुपये प्रति माह का मानदेय दिया जाएगा एवं 06 माह पश्चात मानदेय का भुगतान कस्टम हायरिंग केन्द्र से प्राप्त शुद्ध लाभ के आधार पर निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा :-

क्र.सं	शुद्ध लाभ	मानदेय की राशि	शुद्ध लाभ = यंत्रों / उपकरणों के किराये से प्राप्त कुल राशि - कुल खर्च (मरम्मत, रखरखाव, चालक, ईंधन, केन्द्र का किराया एवं अन्य खर्च)
1.	5,000 - 10,000 रुपये	2,500 रुपये	
2.	10,000 – 20,000 रुपये	4,000 रुपये	
3.	20,000 – 25,000 रुपये	5,000 रुपये	
4.	25,000 रुपये से अधिक	शुद्ध लाभ का 20 प्रतिशत	

प्रथम 03 माह के दौरान संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उपसमिति एवं कैडर को मिलकर यह कोशिश करनी होगी कि केन्द्र से शुद्ध लाभ कम से कम 5000 रुपये प्रति माह हो एवं यदि दोनों मिलकर इसमें असफल रहते हैं तो कैडर के बदलाव से संबंधित निर्णय लिया जाएगा एवं प्रखंड परियोजना इकाई द्वारा आय बढ़ाने हेतु प्रयास किया जाएगा ।

घ) कस्टम हायरिंग केन्द्र के यंत्रों एवं उपकरणों के नुकसान, मरम्मत, बदलाव आदि संबंधित कार्यों हेतु कैडर का संकुल स्तरीय संघ/ उत्पादक कंपनी/ नोडल ग्राम संगठन की आजीविका सब कमिटी के साथ समय – समय पर सामंजस्य रखना होगा।

ड़) कैडर द्वारा संकुल स्तरीय संघ/ उत्पादक कंपनी की मासिक बैठक में केन्द्र के मासिक प्रगति की जानकारी देनी होगी।

च) किसी भी शिकायत का निवारण संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी के स्तर पर शिकायत निवारण समिति द्वारा किया जाएगा ।

- यंत्रों एवं उपकरणों का चयन

क) यंत्रों के चयन हेतु कस्टम हायरिंग केन्द्र के सेवा क्षेत्र के कैडरों, संबंधित ग्राम संगठन के आजीविका उप समिति के सदस्य एवं संकुल स्तरीय संघ/उत्पादक कंपनी के आजीविका उप समिति के सदस्यों की सामूहिक बैठक में निर्णय लिया जाएगा। इस बैठक में क्षेत्र में उपजाई जा रही फसलों, यंत्रों की उपलब्धता, फार्म पावर की उपलब्धता, क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसानों की संख्या एवं उनके द्वारा फसल उत्पादन हेतु उपयोग किए जा रहे जोत के आकार की जानकारी – आदि के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

ख) प्रखंड के आजीविका विशेषज्ञ द्वारा उस क्षेत्र विशेष हेतु उपयोगी कृषि यंत्रों की सूची तैयार की जाएगी । इस सूची को तैयार करने हेतु किसानों, आजीविका सबकमिटी, कृषि विज्ञान केन्द्रों की सहायता ली जाएगी। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कृषि के विभिन्न कार्यों (जैसे जमीन की तैयारी, अंतर्वर्ती क्रियाकलापों, सिंचाई प्रबंधन, फसल सुरक्षा, कटाई एवं कटाई के उपरांत गतिविधियों) से संबंधित मशीनों एवं उपकरणों को शामिल किया जाएगा। यंत्रों के चयन हेतु निम्न तालिका 01 से भी यंत्रों का चयन किया जा सकता है।

ड़) यदि जोत का आकार एवं मध्यम एवं छोटे किसानों की संख्या कम हो तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की जा सकती है जिसमें मिकेनिकल वीडर, स्प्रेयर, डस्टर, विनोवर जैसे छोटे उपकरण रखे जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि जोत का आकार बड़ा हो एवं किसानों की संख्या ज्यादा हो तो बड़े उपकरणों का चयन किया जा सकता है।

च) संबंधित आजीविका सब कमिटी के सदस्यों को परिभ्रमण हेतु नजदीक के कुशलतापूर्वक संचालित कस्टम हायरिंग केन्द्र में भेजा जाएगा ताकि इनसे अपनी समझ को विकसित कर वे भी इसके लिए प्रयास कर सकें। परियोजना के कर्मियों का परिभ्रमण एवं प्रशिक्षण सी.आई.ए.ई. भोपाल जैसे किसी संस्थान में कराया जाएगा।

छ) यंत्रों की खरीदारी कम्यूनिटी प्रोक्योरमेंट मैनुअल के आधार पर अनुमोदित सप्लायर/डीलरों से की जाएगी। यंत्र एफ.एम.टी.टी.आई. या भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय से अनुमोदित संस्था से अनुमोदित होने चाहिए । यंत्रों की सूची के लिए मंत्रालय के एस.एम.ए.एम. योजना तथा राज्य के कृषि विभाग से प्राप्त निर्देशों मे वर्णित मशीनों एवं सप्लायर की सूची का सहारा लिया जा सकता है।

ज) ज्यादा कीमत वाले यंत्रों जैसे ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर एवं हार्वेस्टर आदि यंत्रों का बीमाकरण आवश्यक होगा। यंत्र चालकों का बीमा भी 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा जीवन ज्योति बीमा योजना' के अंतर्गत अनिवार्यतः किया जाना चाहिए ।

तालिका **1**:- कस्टम हायरिंग केन्द्र में खरीदे जाने वाले यंत्रों की सुझावात्मक सूची

क्र.	यंत्र का नाम	संख्या	यंत्र का उपयोग
1	ट्रैक्टर 35 - 45 एच.पी.	1	विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का संचालन
2	एम. बी. / डिस्क प्लाउ	1	जुताई एवं मिट्टी पलटना
3	कल्टीवेटर - 11 टाईन	1	जुताई एवं मिट्टी महीन करना
4	रोटावेटर	1	जुताई एवं मिट्टी महीन करना
5	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील	1	खेत में बीज एवं खाद डालना
6	सेल्फ प्रोपेल्ड सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील	1	खेत में बीज एवं खाद डालना
7	रीपर (कटाई यंत्र) ट्रैक्टर चालित	1	फसल की कटाई
8	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर	1	फसल की कटाई
9	सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाईन्डर	1	फसल की कटाई एवं गट्ठर बनाना
10	थ्रेसर (एक फसली / बहु फसली)	1	पौधों से दाने निकालना
11	पावर स्प्रेयर	2	दवा का छिड़काव
12	नेपसेक स्प्रेयर	5	दवा का छिड़काव
13	पावर वीडर	2	खर - पतवार निकालना एवं निकाई - गुड़ाई
14	डीजिटल नमी मापक यंत्र	1	दानों में नमी की मात्रा निकालना
15	एयर क्लीनर कम ग्रेडर	1	दानों की सफाई एवं छंटाई
16	मक्का डिहस्कर कम सेलर	1	मक्का के बाली से दाने अलग करना
17	आलू रोपाई यंत्र	1	आलू की रोपाई
18	पैडी ट्रांसप्लांटर (सेल्फ प्रोपेल्ड)	1	धान का रोपनी
19	मल्टीक्रॉप जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रील	1	बिना जुताई खेत में बीज एवं खाद डालना
20	पावर टिलर	1	छोटे आकार के खेतों में कृषि कार्य
21	केज व्हील	2	धान की खेत तैयारी के समय ट्रैक्टर के चक्के के साथ लगाने हेतु
22	हैप्पी सीडर	1	बड़े फसल अवशेषों वाले खेत में बीज एवं खाद डालना
23	रीजर	1	मेढ़ बनाना
24	मिस्ट ब्लोअर कम डस्टर	5	बड़े क्षेत्र या फलदार वृक्षों में दवा का छिड़काव
25	पम्पसेट	5	सिंचाई हेतु

झ) कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु स्थान एवं यंत्रों का रख रखाव हेतु केन्द्र में चहारदिवारी के साथ हीं सुरक्षित दरवाजे एवं खिड़कियाँ होनी चाहिए जिसमें ताला – चाभी लगााने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उसमें छोटे उपकरण रखे जा सकें। केन्द्र का दरवाजा इतना बड़ा होना चाहिए कि उपकरणों को आसानी से अंदर या बाहर लाया एवं ले जाया जा सके। केन्द्र का किराया यंत्रों से प्राप्त किराए की राशि के 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि प्रस्तावित स्थल पर यह व्यवस्था न हो तो शेड निर्माण किया जाना चाहिए जिसका फर्श ऊंचा तथा पक्के का हो जिसमें सांप तथा चूहों का आवागमन ना हो सके । केन्द्र के आसपास पर्याप्त जगह होनी चाहिए जिसमें बड़े मशीन यथा ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर आदि रखे जा सकें । कस्टम हायरिंग केन्द्र में आने – जाने का रास्ता ऐसा हो कि वहाँ गाड़ी आसानी से आ जा सके। यंत्रों के उपयोग के पश्चात इसके विभिन्न पुर्जों पर तेल या ग्रीस का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि उनमें जंग ना लगे ।

ट) यंत्रों के रखरखाव, कार्यप्रणाली हेतु कैडर का प्रशिक्षण एवं मशीनों का प्रदर्शन – कस्टम हायरिंग में खरीदे गए यंत्र कार्य करने वाले कैडर के लिए नए होंगे । अतः यंत्रों की मरम्मती, रखरखाव एवं अन्य विषयों पर इनका प्रशिक्षण मशीन आने से पूर्व अथवा तुरंत पश्चात – स्थानीय स्तर पर कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विश्वविद्यालयों अथवा अन्य सक्षम संस्थानों में किया जाना चाहिए ।

कस्टम हायरिंग केन्द्र के कैडर के प्रशिक्षण में निम्न विषय लिए जाएँगेः–

- विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का परिचय
- कार्य करने वाले भाग, इनमें होने वाली परेशानियाँ एवं उनका सुरक्षित उपयोग
- रखरखाव एवं मरम्मत
- मरम्मती की समय सीमा
- सही रखरखाव एवं खाता बही संधारण या लेखा–जोखा खाताबही संधारण एवं प्रबंधन विषयों पर प्रशिक्षण परियोजना के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे ।

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना के चरण

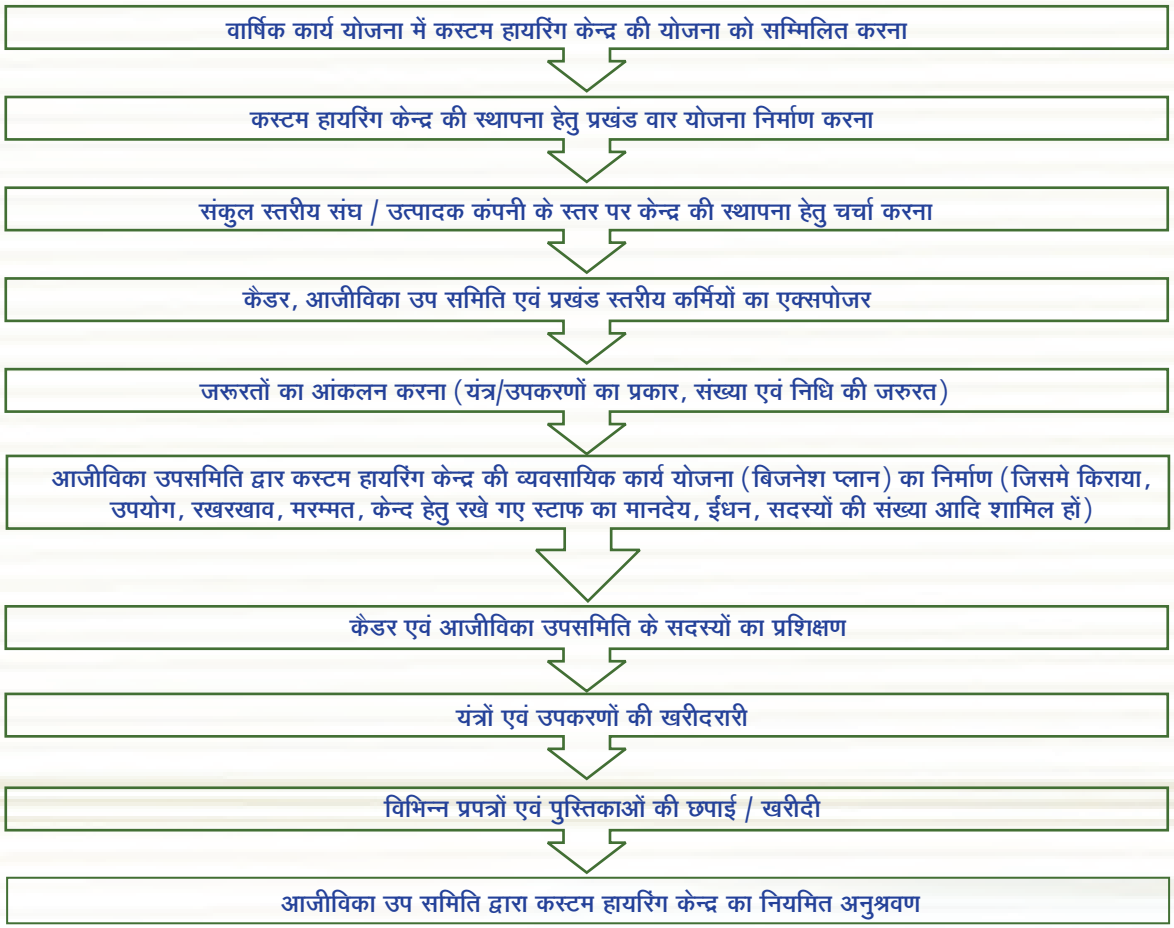

- यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण, वापसी, मरम्मती, बदलाव की प्रक्रिया एवं निधि प्रबंधन

कस्टम हायरिंग केन्द्र के यंत्रों एवं उपकरणों के उपयोग का अधिकार केवल जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों का होगा अन्य किसानों हेतु संबंधित संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उपसमिति के निर्णय मान्य होंगे ।

- यंत्रों एवं उपकरणों का वितरण

क) जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को यंत्रों एवं उपकरणों की सेवा प्राप्त करने हेतु मांग पत्र के माध्यम से मांग करनी होगी जिसमें यंत्रों या उपकरण का नाम, प्रकार, सेवा की अवधि आदि विवरण डालना होगा। प्राप्त मांग के आधार पर केन्द्र पर कार्यरत कैडर इस मांग को मांग रजिस्टर में दर्ज करेगा एवं उन्हें यंत्र / उपकरणों की सेवा मांग पंजी के आधार पर दी जाएगी। यदि यंत्र / उपकरणों की मांग ज्यादा रहती है तो स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं यदि मांग कम रहे तो अन्य किसानों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर सेवा प्रदान की जाएगी।

ख) सदस्यों को अपनी मांग कम से कम 3 दिन एवं अधिकतम 6 दिन पहले देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। मांग के समय यंत्र/ उपकरण की जरुरत का दिनांक एवं समय लिखा होना चाहिए । रजिस्टर में जानकारियाँ साफ – सुथरे तरीके से भरी जानी चाहिए।

ग) कस्टम हायरिंग केन्द्र पर यंत्र/ उपकरणों के किराये का निर्धारण संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उपसमिति द्वारा किया जाएगा । किराया का निर्धारण स्थानीय स्तर पर यंत्र / उपकरण के वर्तमान किराया दर एवं यंत्र/ उपकरण विषयक व्यवसाय तथा लाभ की गणना के आधार पर किया जाएगा । किराया के निर्धारण में यह ध्यान रखना होगा कि यूनिट का निर्धारण इसके उपयोग के आधार पर होगी । उदाहरण के तौर पर जुताई हेतु प्रति कट्ठा या प्रति बीघा की दर तय की जानी चाहिए । किराया निर्धारण के समय प्रत्येक यंत्र या उपकरण हेतु बुकिंग की राशि का निर्धारण भी किया जाना होगा । यह राशि मांग के समय सदस्य/ किसान के मांग पत्र के साथ जमा करनी होगी । सेवा प्राप्त नहीं होने पर यह राशि वापस कर दी जाएगी । सदस्यों या किसान द्वारा यंत्र या उपकरण के लिए किराए की राशि का पूर्ण भुगतान इसके उपयोग के तुरंत बाद अनिवार्य होगा ।

घ) यंत्र / उपकरणों के कार्य के पश्चात वापसी के समय इसके स्थिति की जाँच कैडर द्वारा समिति के निर्धारित सदस्य की उपस्थिति में की जाएगी। यदि गलत तरीके से उपयोग के कारण यंत्र / उपकरण में कोई क्षति होती है तो इसकी मरम्मत की की राशि चालक के मानदेय से कटौती किए जाने का निर्णय समिति के सदस्यों द्वारा लिया जाएगा।

ड़) कस्टम हायरिंग केन्द्र के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने हेतु एक पुस्तिका केन्द्र पर रखी जाएगी। प्राप्त शिकायत एवं सुझाव की समीक्षा नियमित अंतराल पर संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी द्वारा की जाएगी एवं इससे संबंधित सुधार हेतु प्रखंड परियोजना इकाई द्वारा सम्मिलित रूप से प्रयास किया जाएगा।

- यंत्रों एवं उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत

यंत्रों के उपयोग के पश्चात केन्द्र पर आने के बाद इसकी अच्छी तरह से साफ – सफाई की जाएगी जो यंत्र / उपकरण उपयोग लायक होंगे उन्हें मांग के आधार उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक यंत्र / उपकरण के घूमने वाले पुर्जों के बारे में जानकारी एवं इन पूर्जों का सही तरीके से रखरखाव एवं मरम्मती जरुरी होगी क्योंकि इसके अभाव में यंत्र बेकार हो जाएंगे । यंत्रों एवं उपकरणों के सामान्य रखरखाव एवं मरम्मत से संबंधित प्रशिक्षण संबंधित कैडर को दिया जाएगा एवं यह कार्य उनके द्वारा अथवा अधिकृत सर्विस सेंटर पर किया जाएगा । यदि किसी यंत्र या उपकरण की मरम्मत में ज्यादा खर्च (यंत्र या उपकरण की कीमत क 20 प्रतिशत से अधिक) अनुमानित होती है तो इस पर निर्णय संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उप समिति द्वारा लिया जाएगा ।

- कस्टम हायरिंग केन्द्र के स्तर पर निधि प्रबंधन

यंत्रों / उपकरणों के किराये से प्राप्त राशि को प्रत्येक सप्ताह कैडर द्वारा संबंधित संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी में नकद या उनके बचत खाते में जमा करवाना होगा । नकद जमा करने की स्थिति में पावती एवं बैंक में जमा करने की स्थिति में जमा पर्ची कस्टम हायरिंग केन्द्र की लेखा पंजी में रखी जाएगी । केन्द्र के स्तर पर 5,000 रुपये की राशि आपातकालीन उपयोग हेतु रखी जाएगी जिसका उपयोग केन्द्र के कैडर द्वारा किया जा सकता है परन्तु इसकी सूचना संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी के आजीविका उप समिति को देनी होगी ।

कस्टम हायरिंग केन्द्र एक आर्थिक गतिविधि के रूप में विकसित की जाएगी । अतः केन्द्र पर कार्य करने वाले कैडर को आय आधारित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है । आदर्श स्थिति यह होगी कि शुद्ध लाभ का 20% भाग कैडर के मानदेय, 15 - 20% भाग मरम्मत एवं रखरखाव तथा शेष रशि यंत्रों / उपकरणों के बदलाव या नये यंत्र की खरीद के लिए उपयोग किया जाए । किसी भी यंत्र / उपकरण के बदलाव या नये यंत्र की खरीद का निर्णय संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उपसमिति द्वारा किया जाएगा ।

कस्टम हायरिंग केन्द्र का क्रियान्वयन एवं निधि प्रबंधन

सदस्यों द्वारा यंत्र मांग प्रपत्र केन्द्र में जमा करना

↓

कैडर द्वारा मांग के अनुसार यंत्रों/उपकरणों की उपलब्धता के आधार पर मांग स्वीकार करना

↓

सदस्य द्वारा टोकन की राशि जमा करना एवं बुकिंग रसीद प्राप्त करना

↓

कैडर द्वारा मांग, बुकिंग एवं प्राप्त राशियों का सही पंजियों में संधारण

↓

कैडर द्वारा यंत्र के मांग की तिथि को यंत्र के चालक, ईंधन की उपलब्धता एवं यंत्र का सही स्थिति में होना सुनिश्चित करना

↓

निर्धारित तिथि को यंत्र/उपकरणों की सुविधा देना तथा बची राशि का भुगतान प्राप्त करना

↓

यंत्रों/उपकरणों की केन्द्र में वापसी के समय इसकी जाँच के दौरान यदि कोई टूट – फूट पाया जाता है
तो इसके मरम्मत पर किए गए खर्च की भरपाई पर निर्णय मैनुअल के पारा 7ण्2 क के अनुसार लिया जाएगा ।

↓

यंत्र की सेवा से प्राप्त राशि का रोकड़ बही एवं खाता बही में संधारण एवं बिल निर्गत किया जाना

↓

यंत्र/उपकरणों का सही रखरखाव या इनमें आई खराबी की मरम्मत, ईंधन की उपलब्धता हेतु संकुल संघ की आजीविका
उप समिति के अनुमोदन के पश्चात केन्द्र में उपलब्ध राशि से खर्च या इसकी व्यवस्था करना।

↓

कस्टम हायरिंग केन्द्र में उपलब्ध निधि को 15 दिनों के अंतराल पर संकुल संघ में नकद या खाते में जमा करना ।
अधिकतम 5,000 रुपये की राशि केन्द्र पर आकस्मिक व्यय हेतु रखी जाएगी ।

↓

कैडर द्वारा मासिक अंतराल पर केन्द्र के प्रदर्शन विषयक रिपोर्ट आजीविका उपसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं इसकी समीक्षा ।

- कस्टम हायरिंग केन्द्र के स्तर पर रखी जाने वाली जानकारियां एवं खाता बही संधारण

  कस्टम हायरिंग केन्द्र के स्तर पर रखी जाने वाली जानकारियों के संदर्भ में संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका सब कमिटी एवं कैडर का प्रशिक्षण प्रखंड / जिला स्तर पर किया जाएगा एवं खाता बही का संधारण परियोजना द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में कैडर द्वारा किया जाएगा ।

<u>रजिस्टर / पुस्तिकाएं जो कस्टम हायरिंग केन्द्र पर रखी जानी हैं</u>

कस्टम हायरिंग केन्द्र को सुचारू रुप से चलाने, प्रबंध, निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु विभिन्न प्रकार की पुस्तिकाएं एवं रजिस्टर का रखना अनिवार्य है। विभिन्न पुस्तिकाएं - जो कस्टम हायरिंग केन्द्र पर संधारित की जाएंगी - का विवरण निम्न है :-

क) नियमावली :- नियमावली में यंत्रों/उपकरणों को किराये पर लेने, मरम्मत, रखरखाव की प्रक्रिया अंकित रहेगी । इसमें विभिन्न यंत्रों/उपकरणों का किराया, कैडर के कार्य, लाइवलीहुड सब कमिटी के कार्य एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की भागीदारी के बारे में विस्तृत जानकारी होगी।

ख) परिसंपत्ति पंजी एवं स्टॉक पंजी:- इस पंजी में कस्टम हायरिंग केन्द्र की सारी संपत्तियों (यंत्रों एवं उपकरणों तथा अन्य संपत्तियों जैसे तेल की टंकी आदि सहित) का विवरण दर्ज होगा। रजिस्टर में यंत्र / उपकरण का नाम, संख्या, मूल्य एवं रखे जाने का स्थान दर्ज होगा।

ग) स्टॉक पंजी:- इस पंजी में केन्द्र के नियमित संचालन हेतु उपयोग किए जा रहे सामग्रीयों जैसे ईंधन या डीजल, इंजन ऑयल, आवश्यक कल पुर्जे आदि की खरीदी एवं खपत का विवरण दर्ज किया जाएगा । इस पंजी के आधार पर आवश्यक सामग्रीयों की खरीदी में मदद मिलेगी ।

घ) यंत्र मांग पत्र :- यंत्रों की मांग हेतु प्रपत्र कस्टम हायरिंग केन्द्र पर रखे जाएंगे एवं सदस्यों / किसानों द्वारा यंत्र की मांग हेतु इस प्रपत्र का उपयोग किया जाएगा । इस प्रपत्र में यंत्र की मांग करने वाले सदस्य का नाम, स्वयं सहायता समूह का नाम, पता, यंत्र का नाम, यंत्र कब चाहिए, जमा की गई टोकन राशि आदि का विवरण दर्ज होगा।

ड़) कस्टम हायरिंग बुकिंग पंजी :- सदस्यों या किसानों द्वारा यंत्र मांग पत्र के आधार पर यंत्र मांग की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज कर अंतिम बुकिंग स्वीकार की जाएगी। इस पंजी में दर्ज किए गए विवरण के आधार पर यंत्र की मांग के आधार पर बुकिंग स्वीकार की जाएगी।

च) कस्टम हायरिंग बुकिंग रसीद :- बुकिंग पंजी के आधार पर बुकिंग स्वीकार करने के पश्चात सदस्यों/किसानों की बुकिंग रसीद जारी की जाएगी जिसमें बुकिंग का विवरण दर्ज होगा।

छ) प्राप्ति विपत्र :- कस्टम हायरिंग केन्द्र में प्राप्त राशि के लिए के लिए प्राप्ति विपत्र दिया जाएगा जिसमें राशि प्राप्ति का दिनांक, किनसे राशि प्राप्त की जा रही है उनका विवरण, राशि एवं प्राप्ति का उद्देश्य दर्ज होगा । यह दो प्रतियों में होगी। मूल प्रति जिनसे राशि प्राप्त की जा रही है उन्हें दी जाएगी एवं दूसरी कार्बन लगी प्रति केन्द्र में रखी जाएगी ।

ज) यंत्र दैनिक उपयोग पंजी :- इस पंजी में यंत्रों के प्रतिदिन उपयोग का विवरण दर्ज किया जाएगा।

झ) रोकड़ बही :- रोकड़ बही में नकद लेन - देन का ब्योरा दर्ज होगा यानी प्रत्येक प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण दर्ज होगा । बैंक में जमा एवं निकासी की गई राशि का विवरण भी दर्ज किया जाएगा ।

ञ) खाता - बही :- रोकड़ बही में दर्ज किए गए सभी ब्योरों को खाता - बही पुस्तिका में शीर्ष वार दर्ज किया जाएगा ताकि शीर्ष - वार आय एवं व्यय की जानकारी हो सके ।

ट) यंत्र मरम्मती पंजी :- इस पंजी में यंत्रों के खराब होने एवं इसकी मरम्मती की जानकारी दर्ज की जाएगी। इस पंजी में यंत्र खराबी का विवरण, मरम्मत होने का स्थान एवं खर्च राशि का विवरण दर्ज होगा।

ठ) निरीक्षण/ सुझाव / शिकायत पंजी :- प्रत्येक माह संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी की आजीविका उप समिति द्वारा केन्द्र का निरीक्षण कर इस पंजी में अपना मन्तव्य दर्ज करेगी । समय - समय पर परियोजना अथवा कृषि विभाग के प्रतिनिधि भी निरीक्षण कर अपना मन्तव्य इस पंजी में दर्ज करेंगे। इसी पंजी में सदस्यों या सेवा प्राप्त करने वाले अन्य किसान अपना सुझाव या शिकायत भी दर्ज कर सकेंगे।

केन्द्र पर कार्यरत कैडर पर सभी पुस्तिकाएं अद्यतन करने की जिम्मेवारी होगी एवं संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी के मास्टर बुक कीपर / लेखापाल इसमें इनका सहयोग करेंगे ।

(बालामुरुगन डी.)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपी :

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ वित्त प्रबंधक/ आजीविका प्रबंधक
2. सभी कार्यक्रम समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ प्रशासी पदाधिकारी/ मुख्य वित्त पदाधिकारी
4. सूचना तकनीकी शाखा
5. संबंधित संचिका

अनुलग्नक - 01

आजीविका उपसमिति के कार्य

i. कस्टम हायरिंग केन्द्र अंतर्गत यंत्र/उपकरण के भवन/रखे जाने के स्थान का निर्धारण ।

ii. केन्द्र के संचालन हेतु नियम कानून पर निर्णय ।

iii. यंत्रों/उपकरणों के किराये देने का तरीका, रखरखाव, मरम्मती एवं बदलाव के तरीकों का निर्धारण ।

iv. निर्णय के अनुसार कम्युनिटी प्रोक्योरमेंट मैनुअल का पालन करते हुए यंत्रों/उपकरणों की खरीददारी करना, इनका बीमा करवाना एवं नियमानुकूल आदेश प्राप्त करना । यह सुनिश्चित करना कि ट्रैक्टर के चालक के पास वैध ड्रायविंग लाईसेंस हो ।

v. केन्द्र पर चुने गए कैडर का कार्य निर्धारित करना एवं केन्द्र की उपलब्धि की मासिक समीक्षा करना ।

vi. यह सुनिश्चित करना कि सभी पुस्तिकाओं / पंजियों का संधारण किया जाए

vii. कैडर के सूचना के आधार पर केन्द्र पर रखे गए यंत्रों की मरम्मत या बदलाव करना ।

viii. यंत्रों/उपकरणों की मरम्मती, केन्द्र का किराया का भुगतान करने की अनुमति या भुगतान करना ।

ix. कैडर से नकद प्राप्त करना एवं इसे बैंक खाते में जमा करना सुनिश्चित करना। कैडर के मानदेय का भुगतान एवं यंत्रों/उपकरणों के रखरखाव, मरम्मती आदि हेतु राशि का आवंटन करना ।

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी के आजीविका उप समिति के लिए प्रत्येक माह स्टॉक का मिलान एवं ऑडिट करना अनिवार्य होगा ।

अनुलग्नक - 02

कैडर के कार्य

i. संकुल संघ की आजीविका उप समिति द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करना ।

ii. यंत्रों/उपकरणों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर वितरण करना ।

iii. यंत्रों/उपकरणों की वापसी के समय इसमे हुई खराबी (यदि कोई हो) की जाँच करना एवं इनके रखरखाव, मरम्मत या बदलाव की जरुरत का ध्यान रखना ।

मासिक समीक्षा हेतु प्राप्ति एवं भुगतान, स्टॉक एवं उपलब्धियों जैसे कौन से यंत्र का उपयोग सर्वाधिक एवं सबसे कम हुआ है, भुगतान की स्थिति, खराबी आदि की जानकारी प्रस्तुत करना। विवरण प्रस्तुत करना ।

अनुलग्नक – 03

कस्टम हायरिंग केन्द्र हेतु राशि मांग पत्र

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी का नाम :– .....

बैंक खाता संख्या :– .....

शाखा :– .....आई.एफ.एस.सी.कोड :– .....

क्र.सं.	खर्च का विवरण / प्रकार	संख्या	प्रति ईकाई दर (रुपये)	कुल राशि
1	कृषि यंत्र			
2	शेड निर्माण			
3	ईंधन			
4	चालक			
5	यंत्रों का रखरखाव			
6	केन्द्र का मासिक किराया			
7	अन्य खर्च			
राशि शब्दों में			कुल योग	

घोषणा :– हम यह घोषणा करते हैं कि विभाग से प्राप्त अनुदान की राशि परियोजना को वापस कर देंगे ।

हस्ताक्षर एवं मोहर

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई का मंतव्यः संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी द्वारा मांग की गई राशि को परियोजना के माध्यम से दिए जाने की अनुशंसा की जाती है, इस संदर्भ में संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी द्वारा संबंधित कार्यालय आदेश में वर्णित कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है । आवेदन के साथ यंत्रों की सूची, व्यवसाय की रूपरेखा (बिजनेस प्लान), कार्यवाही पुस्तिका की छाया प्रति, बैंक पासबुक की छाया प्रति एवं विभाग का स्वीकृति पत्र / आवेदन संलग्न हैं ।

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी का पूर्व के वर्षों में प्रदर्शन निम्न हैं :–

हस्ताक्षर (In case of CLF)
क्षेत्रिय समन्वयक

आजीविका विशेषज्ञ / नोडल
प्रखंड परियोजना प्रबंधक

हस्ताक्षर (In case of FPC)
जिला परियोजना प्रबंधक

अनुलग्नक – 04

कस्टम हायरिंग केन्द्र की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी का नाम :– .....

बैंक खाता संख्या :– .....

शाखा :– .....आई.एफ.एस.सी.कोड :– .....

क्र.सं.	खर्च का विवरण / प्रकार	खर्च की कुल राशि
1	कृषि यंत्र	
2	शेड निर्माण	
3	ईंधन	
4	चालक ..... माह हेतु ..... रुपये की दर से	
5	यंत्रों का रखरखाव	
6	केन्द्र का मासिक किराया ..... माह हेतु ..... रुपये की दर से	
7	अन्य खर्च	
राशि शब्दों में	**कुल**	

विभाग से कस्टम हायरिंग हेतु अनुदान प्राप्ति हाँ अथवा नहीं। यदि हाँ तो विभाग से प्राप्त अनुदान की राशि .....रुपये प्राप्त अनुदान की राशि परियोजना को वापस करने का विवरण । चेक संख्या / यू.टी.आर. संख्या ..... दिनांक .....

हस्ताक्षर एवं मोहर

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन ईकाई का मंतव्यः संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि के समायोजन की अनुशंसा की जाती है । उपरोक्त वर्णित सामग्रियों का सत्यापन कर लिया गया है । आवेदन के साथ खर्च से संबंधित बिल की छाया प्रति / खर्च का प्रमाण संलग्न किया जा रहा है ।

हस्ताक्षर
क्षेत्रिय समन्वयक

आजीविका विशेषज्ञ / नोडल
प्रखंड परियोजना प्रबंधक

अनुलग्नक – 05

कस्टम हायरिंग केन्द्र के प्रदर्शन का मासिक रिपोर्ट

माह :– .....,20.....

कस्टम हायरिंग केन्द्र का नाम :– .....

संबंधित संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी का नाम :– .....,

प्रखंड :– ..... केन्द्र संचालक का नाम :– .....

क्र. सं.	यंत्र का नाम	पूर्व माह के अंत का मीटर पठन	इस माह का अंतिम मीटर पठन	कुल उपयोग की अवधि

आय का विवरण

क्र. सं.	यंत्र का नाम	यंत्र द्वारा माह में सेवा दी गई कुल अवधि / मात्रा	प्रति यूनिट किराया दर	यंत्र के उपयोग से प्राप्त कुल आय
राशि शब्दों में :–			कुल आय	

खर्च का विवरण

क्र. सं.	खर्च का प्रकार	मात्रा	कुल खर्च
राशि शब्दों में :– कुल खर्च			

यंत्रों जिनका उपयोग इस माह नहीं हुआ है का नाम एवं कारण :–

माह का शुद्ध लाभ = कुल आय – कुल खर्च =

यंत्र संचालक का हस्ताक्षर

नोट :– मासिक रिपोर्ट के साथ इस माह के सभी बिल एवं वाउचर संलग्न किया जाना है।

अनुलग्नक – 06

परिसंपत्ति पंजी

क्र. सं.	खरीददारी की तारीख	यंत्र का नाम	विवरण (कंपनी / मॉडल इत्यादि)	संख्या	मूल्य

अनुलग्नक – 07

कस्टम हायरिंग बुकिंग पंजी

क्र.	मांग की तारीख	यंत्र का नाम	सदस्य / किसान का नाम	समूह एवं गांव का नाम	मांग की अवधि (दिन/घंटा/कट्ठा में)	किराये की कुल राशि	जमा राशि	बकाया राशि	शेष राशि

अनुलग्नक – 08

यंत्र मरम्मती पंजी

क्र.	यंत्र का नाम	खराबी का विवरण	खराब होने की तारीख	मरम्मत होने की तारीख	मरम्मत होने का स्थान	यंत्र मरम्मत पर खर्च	अन्य खर्च	कुल खर्च

अनुलग्नक – 09

स्टॉक पंजी

सामग्री का नाम : .....

दिनांक	विवरण	प्राप्ति		निर्गत	शेष स्टॉक	
		मात्रा (सं./लीटर)	मूल्य (`)	मात्रा (सं./लीटर)	मात्रा (सं./लीटर)	मूल्य (`)

अनुलग्नक – 10

रोकड़ बही

दिनांक	प्राप्ति रसीद संख्या	विवरण	खा०ब०पृ०सं०	राशि		दिनांक	भुगतान विपत्र संख्या	विवरण	खा०ब०पृ०सं०	राशि	
				नकद	बैंक					नकद	बैंक

अनुलग्नक – 11

सामान्य खाताबही

खाता शीर्ष का नाम :					पृष्ठ संख्या:
दिनांक	विवरण	रोकड़-बही पृष्ठ संख्या	राशि		शेष
			भुगतान	प्राप्ति	

संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी स्तर पर खाता – बही शीर्ष					
क्र.	विवरण	शीर्ष	क्र.	विवरण	शीर्ष
1	CIF - कस्टम हायरिंग केन्द्र	दायित्व	4	कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापना	संपत्ति
2	विभाग से अनुदान (कस्टम हायरिंग केन्द्र)	दायित्व	5	परियोजना को अनुदान वापसी	दायित्व
3	कस्टम हायरिंग केन्द्र से प्राप्ति	आय	6	कस्टम हायरिंग केन्द्र खर्च	व्यय
कस्टम हायरिंग केन्द्र खाता – बही शीर्ष					
क्र.	विवरण	शीर्ष	क्र.	विवरण	शीर्ष
1	संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी से प्राप्त राशि	दायित्व	10	संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी को भुगतान	व्यय
2	यंत्र क्रय (नाम निर्दिष्ट करें)	संपत्ति	11	केन्द्र का किराया	व्यय
3	स्थायी संपत्ति (नाम निर्दिष्ट करें) (फर्निचर, आलमीरा, अन्य)	संपत्ति	12	यंत्र / केन्द्र का रखरखाव एवं मरम्मत	व्यय
4	शेड निर्माण	संपत्ति	13	अन्य सामग्री क्रय (निर्दिष्ट करें)	व्यय
5	यंत्र बुकिंग का टोकन / किराया	आय	14	स्टेशनरी क्रय	व्यय
6	अन्य प्राप्ति (निर्दिष्ट करें)	आय	15	केन्द्र संचालक का मानदेय	व्यय
7	यंत्र बुकिंग का टोकन / किराया भुगतान	व्यय	16	यंत्र चालक का मानदेय	व्यय
8	बीमा खर्च	व्यय	17	परिवहन / यात्रा खर्च	व्यय
9	ईंधन (डीजल इत्यादि) क्रय	व्यय	18	अन्य व्यय (निर्दिष्ट करें)	व्यय

अनुलग्नक – 12

प्राप्ति विपत्र

		रसीद संख्या :.....
द्वारा प्राप्ति :		दिनांक :.....
क्र. सं.	विवरण	राशि
कुल राशि **(शब्दों में)**		

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षण

अनुलग्नक – 13

यंत्र हेतु मांगपत्र

मॉग करने वाले किसान का नाम ..... समूह के सदस्य हाँ / नहीं।

यदि हाँ तो समूह का नाम .....

ग्राम .....ग्राम पंचायत .....

ग्राम संगठन का नाम .....संकुल संघ का नाम .....

क्र.	यंत्र का नाम	अवधि जिसमें यंत्रों की आवश्यकता है			सेवा की अवधि/मात्रा **(दिनों में/खेत का आकार इत्यादि)**	यंत्र का कुल किराया
		दिनांक से	दिनांक तक	कुल दिवस		
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
					कुल राशि रुपये में	
नोटः यंत्रों के किराये की शेष राशि सेवा प्राप्त करने के पश्चात जमा कर दिया जाएगा ।					टोकन राशि	
मेरे द्वारा उपरोक्त अवधि हेतु सेवा / यंत्र प्राप्त की गई ।					बकाया राशि	
					प्राप्त राशि	
					सेवा प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर	

भुगतान करने वाले का हस्ताक्षर

राशि प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 14

यंत्र दैनिक उपयोग पंजी

यंत्र का नाम :– .....

दिनांक	उपयोग की अवधि	उपयोग स्थल आने एवं जाने में लगा समय	उपयोग में आए ईंधन की अनुमानित मात्रा	यंत्र के उपयोग में अन्य खर्च	अंतिम मीटर रीडींग	चालक का हस्ताक्षर	केन्द्र पर कार्यरत कैडर का हस्ताक्षर

अनुलग्नक – 15

कस्टम हायरिंग केन्द्र पर लगाए जाने वाले विवरण

अनुलग्नक – 15.1

डिस्प्ले बोर्ड

..... जीविका महिला कस्टम हायरिंग केन्द्र

ग्राम : ....., पंचायत : ....., प्रखंड : .....,
जिला :– .....

संबद्ध संकुल स्तरीय संघ / उत्पादक कंपनी का नाम :.....
केन्द्र पर कार्यरत कैडर का नाम एवं मोबाईल सं. :.....

केन्द्र संचालन अवधि :– प्रातः ..... बजे से ..... बजे तक

नोट :– इस केन्द्र पर कृषि कार्यों हेतु उपकरण उचित मूल्य पर किराए के लिए उपलब्ध हैं, सुविधा की प्राप्ति हेतु उपर वर्णित कैडर के मोबाईल नंबर पर संपर्क किया जा सकता है ।

केन्द्र से संबंधित शिकायतों हेतु निम्न नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है –

1. नाम : ....., पद : ....., मोबाईल नं. : .....
2. नाम : ....., पद : ....., मोबाईल नं. : .....
3. नाम : ....., पद : ....., मोबाईल नं. : .....

अनुलग्नक – 15.2

किराया डिस्प्ले बोर्ड

कस्टम हायरिंग केन्द्र पर उपलब्ध यंत्र एवं किराया

क्र. सं.	उपयोग	उपलब्ध यंत्र का नाम	उपयोग का यूनिट	प्रति यूनिट किराया	बुकिंग राशि

नोट :- यंत्र न्यूनतम ..... अवधि / यूनिट के लिए निम्न शर्तों पर किराए पर दिए जाएंगे।

1. यंत्रों के बुकिंग के समय बुकिंग राशि का भुगतान करना होगा।
2. शेष राशि का भुगतान यंत्रों के उपयोग के तुरंत पश्चात कर देना होगा।
3. यंत्रों हेतु जीविका के स्वयं सहायता समूह से जुड़े सदस्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. यंत्रों को 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

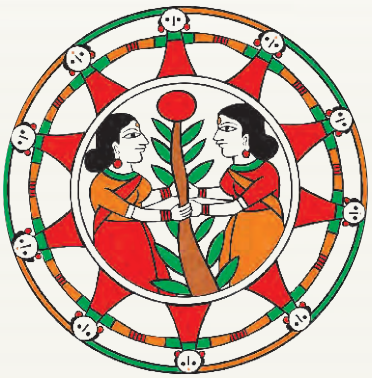

जीविका

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति
विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021
टेली/फैक्स : +91–612–2504980/60